न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –90/2016 जिला दौसा ।

1. कंचन पुत्र घीस्या
2. गोपाल पुत्र घीस्या
   जाति गूर्जर निवासी ग्रम सोनाडी तहसील बसवा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राधाकिशन पुत्र रामप्रसाद , जाति गूर्जर, निवासी ग्रम गुढा आशिकपुरा, तहसील बसवा, जिला दौसा ।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बसवा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 17.6.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री हेमराज गूर्जर

निर्णय

दिनांक– 24.4.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 17.6.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि अपीलान्ट कंचन , गोपाल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.63 हैक्टेयर वाके ग्रम सोनाडी तहसील बसवा, जिला दौसा में होकर रेस्पोंडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.99 हैक्टेयर में आने जाने के लिये नवीन रास्ता दिलवाने हेतु रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 राधाकिशन ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई , जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर निर्णय दिनांक 25.6.2012 पारित कर कंचन व गोपाल की भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.63 हैक्टेयर में से 624 व.मी. को रास्ते में लिये जाने से पूर्ती हेतु राधाकिशन की ग्रम सोनाडी स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.99 हैक्टेयर में से 624 व.मी. कंचन व गोपाल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118 के सहारे सहारे कंचन व गोपाल को दिये जाने के आदेश दिये गये । उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई के उक्त निर्णय दिनांक 25.6.2012 की अनुपालना में तहसीलदार बसवा द्वारा अपीलान्ट्स कंचन व गोपाल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.63 हैक्टेयर में से 0.0624 हैक्टेयर भूमि का रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 राधाकिशन के नाम व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 राधाकिशन की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.99 हैक्टेयर में से 0.0624 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट्स कंचन व गोपाल के नाम नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 31.10.2013 को तस्दीक किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 31.10.2013 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई , जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.6.2016 द्वारा रेस्पोंडेन्ट नं.1 के द्वारा रास्ते के अधिकार के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई के निर्णय दिनांक 25.6.2012 की पालना में अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.63 हैक्टेयर में से 0.0624 हैक्टेयर भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी

भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.99 हैक्टेयर में से 0.0624 हैक्टेयर भूमि का अपीलान्ट्स के नाम नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 31.10.2013 को तहसीलदार बसवा द्वारा तस्दीक किये जाने एवं उक्त संबंध में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी विचाराधीन होने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुये अपील अपीलान्ट्स खारिज की गई , जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने तथा अपीलाधीन आदेश एवं तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 94 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट्स की भूमि जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है, उस भूमि में अपीलान्ट्स के चार घर पाटोल डले हुये है, जिसमें अपीलान्ट्स निवास कर रहे हैं तथा मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता ना तो पूर्व में था ओर ना ही वर्तमान में है । अपीलान्ट्स की भूमि में से यदि रास्ता दे दिया जाता है तो खातेदारान के हित पूर्णतया प्रभावित होगें । अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को नजरन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिक नहीं है । उनका कहना था कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक होता है , लेकिन तहसीलदार ने प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । उनका यह भी कहना था कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट्स की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन रहने के दौरान पारित किया गया है, जो न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.99 हैक्टेयर वाके ग्रम सोनाडी तहसील बसवा जिला दौसा में आने जाने के लिये अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.63 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता दिलवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई ने आदेश दिनांक 25.6.2012 द्वारा कंचन व गोपाल की भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.63 हैक्टेयर में से 624 व.मी. को रास्ते में लिये जाने से पूर्ती हेतु राधाकिशन की ग्रम सोनाडी स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.99 हैक्टेयर में से 624 व.मी. कंचन व गोपाल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118 के सहारे सहारे कंचन व गोपाल को दिये जाने के आदेश दिये गये । उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई के उक्त निर्णय दिनांक 25.6.2012 की अनुपालना में तहसीलदार बसवा द्वारा अपीलान्ट्स कंचन व गोपाल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.63 हैक्टेयर में से 0.0624 हैक्टेयर भूमि का रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 राधाकिशन के नाम व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 राधाकिशन की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.99 हैक्टेयर में से 0.0624 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट्स कंचन व गोपाल के नाम नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 31.10.2013 को तस्दीक कर दिया । उनका कहना था कि चूंकि उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई के निर्णय दिनांक 25.6.2012 के खिलाफ अपीलान्ट की अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय दिनांक 26.4.2013 से

खारिज हो चुकी है तथा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 8.11.2017 से खारिज हो चुकी है । ऐसी स्थिति में उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई का निर्णय दिनांक 25.6.12 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर तक से यथावत रहने से उसकी अनुपालना में तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 31.10.2013 को विधिक रूप से निरस्त नहीं किया जा सकता । उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत अपील अपीलान्ट मे कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.99 हैक्टेयर में आने जाने के लिये अपीलान्ट्स की भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.63 हैक्टेयर में से नवीन रास्ता दिलवाने के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई ने अपीलान्ट कंचन व गोपाल की भूमि खसरा नम्बर 118 रकबा 0.63 हैक्टेयर में से 624 व.मी. को रास्ते में लिये जाने से पूर्ती हेतु रेस्पोंडेन्ट राधाकिशन की ग्रम सोनाडी स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.99 हैक्टेयर में से 624 व.मी. कंचन व गोपाल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 118 के सहारे सहारे कंचन व गोपाल को दिये जाने के आदेश दिनांक 25.6.12 पारित किये गये । उप खण्ड अधिकारी के उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 31.10.13 तस्दीक किया है । प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 31.10.2013 के खिलाफ अपीलान्ट्स की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 17.6.16 से खारिज की है ।

प्रकरण में अपीलान्ट की भूमि में से रास्ता कायम किये जाने के संबंध में उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई के निर्णय दिनांक 25.6.2012 के खिलाफ अपीलान्ट की अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के निर्णय दिनांक 26.4.2013 से खारिज हो चुकी है तथा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपीलान्ट की निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 8.11.2017 द्वारा निगरानीकार पक्ष का यह उल्लेख कि उसकी जमीन में पाटोल बनी हुई है । पाटोल बनी होने का उल्लेख पटवारी व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में नहीं है । दूसरा यह कि निगरानीकार पक्ष की ओर से गैर निगरानीकार राधाकिशन को उसकी भूमि खसरा नम्बर 117 में आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध होने, के संबंध में तथ्यात्मक एवं प्रभावी रूप से कोई सुझाव नहीं दिया गया है । तृतीय यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार निगरानीकार पक्ष को खसरा नम्बर 118 की भूमि, जो रास्ते में जायेगी उसकी एवज में खसरा नम्बर 117 में से भूमि दिये जाने का आदेश दिया गया है। निगरानीकार पक्ष को भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा हो , यह नहीं मानते हुये उप जिला कलक्टर बांदीकुई तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के निर्णयों में समवर्ती निष्कर्ष होने से उनमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं माना है तथा भूमि खसरा नम्बर 117 में आवागमन के लिये चूंकि किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर स्थित हो, ऐसा वैकल्पिक मार्ग नहीं सुझाये जाने ओर अपनी भूमि में आवागमन करना काश्तकार का अधिकार है । धारा 151–क के तहत उप खण्ड अधिकारी को नया रास्ता कायम करने का अधिकार होने से उपरोक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये दोनों अधीनस्थ

न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों में समवर्ती निष्कर्ष दिये जाने से उनमें हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाईश नहीं होने से निगरानी याचिका खारिज की गई है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 94 दिनांक 31.10.2013 तहसीलदार द्वारा उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई , जिला दौसा के निर्णय दिनांक 25.6.2012 की अनुपालना में तस्दीक किया गया था, जिसके खिलाफ अपीलान्ट्स की अपीलें न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से खारिज हो चुकी है तथा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उप खण्ड अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी के निर्णयों की पुष्टि किये जाने से अपरोक्ष रूप से प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत रहा है । प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट्स की अपील अति. कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.6.2016 द्वारा खारिज की है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.4.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर